**अनुबंध – ख**

## आरईएचएस – चिकित्सा संबंधी दावें के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

1. आवेदक द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया हुआ चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए आरईएचएस योजना आवेदन प्रपत्र।

2. जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, उसके द्वारा लिखी हुई चिकित्सा पर्ची।

3. दावाकर्ता द्वारा विधिवत सत्यापित परामर्श प्रभारों, दवाई प्रभारों, जो उसके द्वारा भुगतान किया गया है, के संबंध में बिल / कैश मीमो।

4. चिकित्सा कार्ड की प्रति (अंतरंग इलाज के मामले में, जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहें है, के द्वारा चिकित्सा कार्ड पर रोगी का फोटो सत्यापित होना चाहिए)

5. ओपीडी सीमा से अधिक दावें / गैर सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज हेतु अनुमोदन के लिए दावा के साथ उचित स्पष्टीकरण सहित सादे कागज पर आवेदन पत्र संलग्न होना चाहिए।